छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 326/2006</u>

श्री राकेश चौबे, ... आवेदक
म.न. 10/226, सत्ती बाजार,
फौव्वारा चौक, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी .... अनावेदक
कार्यालय – सचिव
ग्राम सेवा समिति कचहरी चौक
रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::

(01 सितम्बर 2006)

श्री राकेश चौबे, निवासी रायपुर के द्वारा सचिव, ग्राम सेवा समिति रायपुर से दिनांक 11.03.06 के आवेदन पत्र द्वारा ग्राम सेवा समिति से संबंधित 16 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी जिसमें कि ग्राम सेवा समिति के बायलाज, पदाधिकारी, समिति की चल–अचल संपत्ति, ग्राम सेवा समिति को प्राप्त अनुदान, वर्ष 2004–05 की आडिट रिपोर्ट से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गई थी। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 15.05.06 के द्वारा शिकायत की गई कि ग्राम सेवा समिति के द्वारा उसे निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की गई।

आयोग के द्वारा सचिव, ग्राम सेवा समिति को नोटिस जारी किया गया। ग्राम सेवा समिति की ओर से श्री एस.के. महोबिया, अभिभाषक उपस्थित हुए। आवेदक एवं ग्राम सेवा समिति की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। आवेदक ने दिनांक 24.08.06 को आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम सेवा समिति, खादी ग्राम उद्योग द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था है उसके द्वारा ग्राम सेवा समिति की बैलेंश सीट मार्च 1995 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। अनावेदक ग्राम सेवा समिति की ओर से यह बतलाया गया कि ग्राम सेवा समिति को राज्य शासन के द्वारा परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता। खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा ग्राम सेवा समिति को ऋण दिया गया है तथा समिति के द्वारा मय ब्याज के उक्त ऋण खादी ग्राम उद्योग आयोग को ऋण वापस किया जाता है। इसके साथ ही खादी ग्राम उद्योग के निर्देशानुसार विशेष अवसरों पर खादी भंडार की वस्तुओं में उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है। उक्त छूट की पूर्ति खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा अंकेक्षण के पश्चात् प्रतिपूर्ति की जाती है। ग्राम सेवा समिति को किसी प्रकार का अनुदान शासन अथवा खादी ग्रामा उद्योग आयोग के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के

अंतर्गत संस्था जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है एवं उस पर अधिनियम प्रभावशील नहीं होता है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत बैंलेस शीट मार्च 1995 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई, इसमें भी संस्था को किसी प्रकार कोई अनुदान प्राप्त होने का उल्लेख नहीं है। इसके अनुसार संस्था को खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा ऋण दिया गया है।

आवेदक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है तथा ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये हैं जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि अनावेदक ग्राम सेवा समिति, रायपुर को राज्य शासन के द्वारा कोई अनुदान प्राप्त हुआ है।

अनावेदक के द्वारा संस्था की नियमावली तथा खादी ग्राम उद्योग आयोग, मुंबई के पत्र दिनांक 10.8.04 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसमें कि खादी की वस्तुओं की कीमत पर छूट दी गई है तथा इसकी प्रतिपूर्ति आयोग के द्वारा आडिट होने के पश्चात् किये जाने का उल्लेख किया गया है। समिति के द्वारा खादी ग्राम उद्योग आयोग के पत्र दिनांक 24.03.05 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार उक्त समिति को लगभग 1,59,00,000/- ऋण की राशि बकाया होने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ग्राम सेवा समिति, रायपुर को शासन के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अनुदान प्राप्त होने की पुष्टि नहीं होती है। आवेदक भी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि समिति अनुदान प्राप्त संस्था है। अतः आवेदक की यह शिकायत अस्वीकार की जाती है एवं नस्तीबद्ध किया जाता है तथा आवेदक को भी यह सचेत किया जाता है वह संबंधित प्रमाण के साथ ही जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का प्रयोग करे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त